न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 56 / 2015 (RCMS No. 2015/00112)

प्रार्थीगण

1. बोदूराम पुत्र किशनाराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष निवासी जोड़पुरा (आसपुरा) तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. छोटूराम पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी जोड़पुरा तहसील कुचामनसिटी नागौर
2. नरेश कुमार पुत्र पेमाराम जाट निवासी बेगपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. मोहनराम पुत्र किशनाराम जाति जाट जोड़पुरा तहसील कुचामनसिटी
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
5. सब रजिस्ट्रार तहसीलदार कुचामनसिटी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, एवं 3, की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 10·10·2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपर्युक्त उनवान का राजस्व वाद मजबूत बिनाय पर आधारित अदालत हाजा में जैरतजबीज है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की सम्भावना है, प्रार्थी के पिता किशनाराम के 6 लड़के घासीराम, बोदूराम, जेठूराम, दानाराम, किस्तूराराम व मोहनराम है, किशनाराम का स्वर्गवास होने के बाद किशनाराम की कृषि भूमि मं उनके लड़के घासीराम का 1 / 6, जेठूराम का 1 / 6, दानाराम का 1 / 6, किस्तूराराम का 1 / 6 व मोहनराम का 1 / 6 हिस्सा है, किशनाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके उपरोक्त पुत्रो के नाम से फौतगी नामान्तरकरण भरवाया जाकर राजस्व रेकार्ड मे उनके छः पुत्रो की खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की भूमि किशनाराम के स्थान पर रही, कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 72 रकबा 14.25 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 41 रकबा 2.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.31 हैक्टर खसरा नम्बर 56 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 रकबा 2.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 40 रकबा 5.51 हैक्टर, खस[illegible] 57 रकबा 2.85 हैक्टर कुल रकबा 28.89 हैक्टर भूमि सरह[illegible] कुचामनसिटी जिसमें अन्य खातेदारान के साथ प्रार्थी [illegible] पिता किशनाराम के 1 / 8 हिस्से की भूमि राजस्व रेकार्ड में सयुक्त खातेदारी [illegible] कब्जा काश्त की आ[illegible] है लेकिन मौके पर सभी खातेदारान ने आपसी सहमति [illegible] बांट रखी है और [illegible] नींव–सींव मेडबंदी बना रखी है और अपने अपने हिस्से पर काबिज है लेकिन विधिवत बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:12 IST
Reason: SelfAttested

.......2......

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नही होने से राजस्व रेकार्ड में सयुंक्त खातेदारी दर्ज है प्रार्थी के पिता किशनाराम की मृत्यु होने के पश्चात उनके पुत्र घासीराम बोदूराम जेठूराम दानाराम किस्तुराराम व मोहनराम के बराबर हिस्से में उपरोक्त खसरान की 1/8 हिस्से की भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो के नाम से अन्य खातेदारान के साथ खातदेारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की रही है प्रार्थी के भाई घासीराम व मोहनराम के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग करने पर तथा जेठूराम व दानाराम के द्वारा प्रार्थी के पक्षा में खसरा नम्बर 40 व 57 की भूमि अपने हिस्सें की भूमि प्रार्थी के नाम दुरूस्त करवाने व खसरा नम्बर 41 42 56 59 60 72 का अपने सम्पूर्ण हिस्से का प्रार्थी के पक्ष में बेचान करने पर उपरोक्त सभी खसरान की भूमि में 1/8 हिस्से की भूमि मे 5/48 हिस्सा प्रार्थी व 1/48 हिस्सा प्रार्थी के भाई किस्तुराराम के नाम से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज की जानी चाहिए थी लेकिन राजस्व अधिकारियो की भूल से खसरा नम्बर 40 व 57 मे प्रार्थी हिस्से में 3/32 व किस्तूरराम के हिस्से में 1/32 गलत दर्ज की गई जिसका राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त करवाना आवश्यक है, प्रार्थी का भाई किस्तुररा्रू मंदबुद्धि व नासमझ होने से उसकी शादी नही की गई और बिंना औलाद के दिनॉक 28.08.2015 को फौत हो गया किस्तूरराम के नाऔलाद फौत होने से उसके जायज उत्तराधिकारी उनके भाई घासीराम बोदूराम जेठूराम दानाराम व मोहनराम ही है, लेकिन मोहनराम छोटूराम और नरेश कुमार ने साजिश करके नरेश कुमार के नाम आम मुख्त्यारनामा करवाकर उपरोक्त सभी खसरा नम्बर की खातेदारी राजस्व अधिकारियो की भूमि .से गलत दर्ज होने पर नाजायज फायदा उठाकर किस्तूरराम की उपरोक्त सम्पूर्ण कुल खसरा 8 की भूमि का बेचान छोटूराम खीचड़ के नाम से रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र लिख कर सब रजिस्ट्रार कुचामनसिटी के कार्यालय में पजियन करवा दिया जो Null and Void है। उपरोक्त गलत बेचाननामा के आधार पर राजस्व रेकार्ड मं अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने पर उतारू है तथा छोटूराम द्वारा किस्तूरराम के हिस्से पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी गई है किस्तूराराम का हिस्सा 1/48 था जो राजस्व अधिकारियो की भूल से 1/32 दर्ज होने से अन्य हक हिस्सा प्रभावित हुआ है, छोटूराम द्वारा यदि उपरोक्त भूमि पर कब्जा करने में सफल हो गया तो प्रार्थी को काफी नुकसान होगा, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की ताफैसला वाद जारी की जावे कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी सं. 1 से 3 किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे तथा अप्रार्थी सं. 4 राजस्व रेकार्ड की यथास्थित बनाये रखे तथा उप पंजियक कुचामनसिटी पंजियन स्वीकार नही करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी [illegible] जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 3 की [illegible] प्रस्तुत हुआ, शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी सं. 2 [illegible] होने के अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी नकल इत्यादि प्रस्तुत किये, [illegible]ान दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत किये, सिविल न्यायाधीश के जारी आदेश की छाया प्रति,नामान्तरकरण की छाया प्रति प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:12 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि में बंटवारा दर्ज नही हुआ है तथा खसरा नम्बर 40 57 की आराजी मे प्रार्थी के हिस्से में दर्ज 3/32 व मृत पूर्ववर्ती सहखातेदार किस्तुरराम के हक में 1/32 हिस्सा की प्रविष्टि गलत दर्ज हो गई, अप्रार्थी छोटूराम में राजस्व रेकार्ड देखकर ही भूमि क्रय की है तथा खरीद के दिन ही कब्जा संभाल कर काबिज चला आ रहा है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य मनगढ़त है, अप्रार्थी के पक्ष में दिनॉक 09.07.2015 को नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है तथा प्रार्थी के पुत्र ने अपने प्रभाव के कारण नामान्तरकरण स्वीकृत नही होने दिया किस्तुरराम द्वारा अपने विश्वास व्यक्ति को दो गवाहो के समक्ष आम मुख्त्यारनामा देकर ही संपादित किया है, जिसके अनुसार छोटूराम द्वारा प्रश्नगत खसरान में से भूमि क्रय की गई है। इसलिएए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नही होने से प्राथना–पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि किशनाराम के सभी पुत्रो को प्रार्थना–पत्र में संयोजित नही किया गया है वादग्रस्त भूमि मौके पर पक्षकारान में आपसी सहमति से बांट रखी है, प्रार्थी द्वारा किस्तुरराम के जीवनकाल में उक्त गलत प्रविष्टियों को चुनौती नही दी गई, कृषि भूमि का बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि हो सकता है परन्तु कृषि भूमि का हक त्याग नही हो सकता केवल राज्य सरकार के पक्ष में ही त्याग हो सकता है, किस्तुरराम के हक हिस्से में ज्यादा भूमि इसलिए रखी गई थी की उसको रास्ते पर नही देकर अन्य जगह भूमि दी गई थी इसलिए हिस्सा सही दर्ज चला आया है,किस्तुरराम ने जो अपने हक हिस्से का बेचान किया गया है जो सही है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारान में मध्य वाद विचाराधीन है, प्रश्नगत भूमि किशना के दर्ज चली आई तत्पश्चात उनके पुत्रो के नाम दर्ज हुई, किस्तुरराम का हिस्सा जरिये आम मुख्तयारनामा दिनॉक 11.06.2015 प्रतिवादी छोटूराम को बेचान हुआ, जिसकी तस्दीक प्रस्तुत बेचान दस्तावेज संख्या 2015002205 दिनॉक 11.06.2019 से होती है। मुख्य इस्तदुआ पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवारा नही होना एवं किस्तुरराम का हिस्सा 1/32 के स्थान पर 3/32 दर्ज होना है, वर्तमान जमाबन्दी अनुसार पक्षकारान के नाम वादग्रस्त भूमि संयुक्त सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है, माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट [illegible] के प्रकरण सं. 07/2016 बोदूराम बनाम छोटूराम वगैरह में पारित [illegible] दिनॉक 21.10.2016 मुताबिक अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के [illegible] कृषि भूमियों का अन्यथा अन्तरण नही करेगे एवं उक्त कृषि भूमियों के वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं राजस्व अभिलेख की स्थिति को यथावत बनाये रखे जाने बाबत अंकित है। पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवारा होने तक दोनो पक्षकारान को ही जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:12 IST
Reason: SelfAttested

किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित है, जिससे मौके पर परिशान्ति बनी रहे एवं आपसी विवाद नही बढ़े। अतः प्रार्थना– पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 14.25 हैक्टर बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 41 रकबा 2.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.31 हैक्टर खसरा नम्बर 56 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 रकबा 2.45 हैक्टर कुल रकबा 6.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 40 रकबा 5.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 57 रकबा 2.85 हैक्टर कुल रकबा 8.36 हैक्टर में प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनॉक 10.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:12 IST
Reason: SelfAttested